



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डब्ल्यू.बी.-अ.-03112025-267354
CG-WB-E-03112025-267354

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4814]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 3, 2025/कार्तिक 12, 1947

No. 4814]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 3, 2025/KARTIKA 12, 1947

रेल मंत्रालय

[पूर्व रेलवे (निर्माण विभाग)]

अधिसूचना

कोलकाता, 31 अक्टूबर, 2025

का.आ. 4969(अ).— रेलवे अधिनियम, 1989, (रेलवे (संशोधित) अधिनियम, 2008 के अनुसार संशोधित) की धारा 2 के खण्ड (7 ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद् रूप से नीचे तालिका के कॉलम (2) में वर्णित अधिकारी को प्राधिकृत करती है कि वह तालिका के कॉलम-(4) में वर्णित रेलवे परियोजना के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य- निष्पादित करें तथा उपर्युक्त तालिका के ही कॉलम-(3) में वर्णित राज्य में कार्य-निष्पादन अनुपालन, प्रबंधन एवं परिचालन के लिए भी वह कार्य करें तथा यह राजकीय राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जाएगा।

तालिका

क्रमांक	सक्षम प्राधिकारी	राज्य	रेलवे परियोजना का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी साहिबगंज	झारखंड	झारखंड के साहिबगंज जिले में भूमि अधिग्रहण के लिए विशेष रेलवे परियोजना के रूप में “पाकुड़ – गुमानी के बीच चौथी लाइन”।

[फा. सं. मु. प्र. अ./नि./ भू./ 324]

पी. के. शर्मा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

[Eastern Railway (Construction Department)]

NOTIFICATION

Kolkata, the 31st October, 2025

S.O. 4969(E).— In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways Act, 1989, (as amended vide the Railways (Amendment) Act, 2008) the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in column (2) of the Table below to perform the functions of the **Competent Authority** in respect of the Railway Project as mentioned in column (4) of the Table, for execution, maintenance, management and operation in the state mentioned in column (3) of the said Table, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

TABLE

Serial Number	Competent Authority	State	Name of Railway Project.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	District Land Acquisition Officer Sahibganj	Jharkhand.	“4 th line between Pakur-Gumani”, as special railway project, for land acquisition in the District of Sahibganj of Jharkhand.

[F. No. CAO/Con/L/324]

P. K. SHARMA, Chief Administrative Officer/Con